**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**राजस्व विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1155**

**(जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2017/1 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है)**

## किसानों पर आयकर

1155. श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बड़े किसानों को आयकर दायरे के अंतर्गत लाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ बड़ी कंपनियां इस बात से लाभांवित होती रही हैं कि वे कृषि आधारित कंपनियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न आयोगों/समितियों के कार्य बल ने समय पर ऐसी कार्रवाई की सिफारिश की है; और

(घ) बड़े किसानों को कर जांच के अंतर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

(क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत कृषि आय को छूट, भारतीय संविधान में दी गयी योजना के कारण है, जिसमें विनिर्दिष्ट है कि केंद्रीय अधिनियम, कृषि आय पर कर की उगाही नहीं कर सकता चूंकि कृषि राज्य का विषय है क्योंकि यह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत आता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर, कंपनी सहित किसी व्यक्ति को होने वाली कृषि आय, इस अधिनियम के अंतर्गत कर के अध्यधीन नहीं होगी।

(ग) डॉ. पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाले कर प्रशासन सुधार आयोग ने 2014 में सिफारिश की थी कि "बड़े कृषकों को कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। 5 लाख रुपये तक की कृषि आय को कर मुक्त रखने से ऐसे किसान जिनकी आय उच्च थ्रेशहोल्ड अर्थात 50 लाख रुपए है, पर कर लगाया जा सकता है। इससे करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी।"

तथापि उत्तर के भाग में उपर्युक्त वर्णित कारणों से सिफारिशों को स्वीकार्य नहीं पाया गया।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****